25

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2011/फाल्गुन 3, 1932

No. 93] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2011/PHALGUNA 3, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 105(अ).—जैट्रोफा बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2010 का एक प्रारुप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 781 (अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 5 अक्तूबर, 2010 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रुप से विचार कर लिया गया है ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैट्रोफा बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2011 है ।

(2) ये यूफोरबियेसी परिवार के जैट्रोफा कैरकस एल. पौधे के जैट्रोफा केपस्यूल से अभिप्राप्त जैट्रोफा बीजों पर लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में उनके अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों:-

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति- निकाय अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार जैट्रोफा बीज के श्रेणीकरण और चिह्नांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है;

(ग) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ जैट्रोफा बीज का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(ड.) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उसका है ।

3. जैट्रोफा का श्रेणी अभिधान - जैट्रोफा बीज की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित होगी ।

4. क्वालिटी - इन नियमों के प्रयोजनों के लिए जैट्रोफा बीजों की क्वालिटी अनुसूची 2 में दिए गए के अनुसार होगी ।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न- श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाणपत्र संख्यांक, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में यथा उपवर्णित के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना "एगमार्क प्रतीक" होगा ।

6. पैकिंग की पद्धति- (1) जैट्रोफा बीज को टाट के थैलों या जूट के बने थेलों, पॉलीवोवन थैलों, पॉली, पाउच, कपड़े के थैलों, लैमिनेटिड पौलीथिलिन या उच्च सघनता वाले पॉलीथिलीन (एच.डी.पी.ई.) से विलोपित कागज के थैलों, नए या अन-मेंडेड बी-ट्विल थैलों या ऐसे किसी अन्य उपयुक्त पैकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा जिसमें आंतरिक अस्तर हो; जो कि भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित हो;

(2) पैकिंग सामग्री साफ, सुदृढ़ कीट ग्रस्तता और या फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और किसी विषाक्त पदार्थ से किसी आवांछनीय या असहनीय गंध से भी मुक्त होगी;

(3) जैट्रोफा बीज कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार पैकिंग साइज में पैक होंगे;

(4) समान लाट या बैच के छोटे पैकों के श्रेणीकृत सामग्री और श्रेणी को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ उसके पूरे ब्यौरों सहित मास्टर आधान में पैक किया जाएगा;

(5) प्रत्येक पैक में समान प्रकार और समान श्रेणी अभिधान के जैट्रोफा बीज होंगे ।

(6) प्रत्येक पैक उचित रुप से और सुरक्षित रुप से बंद और सील किए जाएंगे तथा बोरे के मुंह पर सिलाई की जाएगी और जिससे रिसाव या बिखरने की संभावना को समाप्त किया जा सके ।

7. **चिह्नांकन की पद्धति** - (1) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम (11) के अनुसार इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में प्रत्येक पैकिंग में सुरक्षित रुप से लगाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त , निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य रुप में चिह्नांकित होंगी, अर्थात् :-

(क) पैकर का नाम और पता;
(ख) पैकिंग का स्थान;
(ग) लॉट या बैच संख्या
(घ) पैकिंग की तारीख;
(ड.) किस्म या वाणिज्यिक नाम; (वैकल्पिक)
(च) फसली वर्ष; (वैकल्पिक)
(छ) श्रेणी;
(ज) शुद्ध भार;
(झ) अधिकतम खुदरा कीमत; (सभी करों सहित)
(ञ) ..... मास ..... वर्ष के पूर्व उपभोग सर्वोत्तम;
(ट) कृषि विपणन सलाहकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य ब्यौरे

(3) पैकजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी गुणवत्ता वाली होगी जो जैट्रोफा बीजों को संदूषित न करें ।

(4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना निजी व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड का उपयोग कर सकेगा परन्तु वह इन नियमों के आधार पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित न करता हो ।

8. **प्राधिकार प्रमाणपत्र के लिए विशेष शर्तें** - (1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर समय-समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा;

(2) प्राधिकृत पैकर, जैट्रोफा बीज की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी/संगम प्रयोगशाला या निजी वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा;

(3) परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ रखा जाएगा तथा इनमें पर्याप्त हवा तथा उचित रोशनी का प्रबंध भी होगा और इन संक्रियाओं में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे;

(4) परिसर, पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाओं से युक्त होंगे और वह कृन्तक और कीटों के आकीर्णन से मुक्त होंगे ;

(5) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सील करने और अभिलेखों को रखने संबंधी सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे जो कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर इस निमित्त दिए जाए ।

अनुसूची-1
(नियम 5 देखिए)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)

वस्तु का नाम .....
श्रेणी .....

अनुसूची -2
(नियम 3 और 4 देखिए)

जैट्रोफा बीज (जैट्रोफा केरकस एल.) की श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता

१. जैट्रोफा बीज को यूफोरबियेसी परिवार के जैट्रोफा कैरकस एल. पौधे के स्वच्छ, स्वस्थ तथा पके हुए जैट्रोफा केपस्यूल से अभिप्राप्त किया जाएगा ।

२. न्यूनतम अपेक्षाएं

(i) जैट्रोफा बीज होंगे:-

(क) स्वास्थ्यकर पके हुए, स्वच्छ और सूखे बीज होंगे;
(ख) आकार, आकृति और रंग की विशेषताओं वाला होगा;
(ग) जीवित और मृत कीटों, कीट गंध, फफूंदी, लारवा से मुक्त होगा;
(घ) कवक ग्रसित फफूंदवृद्धि से मुक्त होगा:
(ड.) मिलाए गए कृत्रिम रंजक पदार्थ आदि से मुक्त होगा;
(च) कृंतक बाल और मलमूत्र से मुक्त होगा;

(छ) अन्य विषैले बीजों औरअन्य विषैले अपतृणों से मुक्त होगा;

(ज) विकृतगंधी और भुकड़ी से मुक्त होंगे;

(ii) जब बीजों को पीसा और भिगोया जाए तो बीजों की गंध और सुवास ताजा होगी ।

३. **श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड:**

श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा :

सारणी

श्रेणी अभिधान	विजातीय पदार्थ		टूटे हुए बीजों का प्रतिशत भार द्वारा	अधिकतम घनत्व (बीजों की संख्या प्रति कि.ग्रा.)	कीट संक्रमित बीजों का प्रतिशत भार द्वारा	नमी का प्रतिशत भार द्वारा	तेल प्रतिशत भार के आधार पर	क्षतिग्रस्त और अपवर्णित बीज का प्रतिशत भार द्वारा	निष्कर्षित तेल की एसिड वैल्यू
	कार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)	अकार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(न्यूनतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विशेष	1.0	0.5	1.0	2000	0.5	8.0	33.0	2.0	10.0
मानक	1.5	1.0	2.0	2400	1.0	9.0	30.0	4.0	15.0
साधारण	2.5	2.5	4.0	2800	2.5	10.0	27.0	7.0	25.0

स्पष्टीकरण: इस सारणी के प्रयोजन के लिए,

(क) विजातीय पदार्थ, से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) कार्बनिक पदार्थ जो जैट्रोफा बीज से भिन्न पत्तियां, टहनी, तने कार्बनिक पदार्थ से बना है ।

(ii) अकार्बनिक पदार्थ, जो धात्विक टुकड़ों, बालू, बजरी, धूल, गुटका, पत्थर, मिट्टी के ढेले, मृदा और कीचड़, पशु गंदगी से बना है ।

(ख) कीट प्रभावी बीज से ऐसे बीज अभिप्रेत है जो पूर्णतः और भागतः घुन द्वारा उत्पन्न या खाए जाते हैं ।

(ग) सम्पूर्ण बीज से परिपक्व, ठोस और स्वच्छ बीज अभिप्रेत है ।

(घ) क्षतिग्रस्त बीज से गिरी या गिरी के टुकड़े अभिप्रेत हैं जो ऊष्मा, जीवाणु और नमी के परिणामस्वरुप आंतरिक रुप से क्षतिग्रस्त हैं ।

४. अन्य अपेक्षाएं :-

(i) जैट्रोफा बीज की दशा ऐसी होगी जिससे वे निम्नलिखित के लिए समर्थ हो सकें:-

(क) परिवहन और हथालन को सहन करने के लिए, और

(ख) गंतव्य स्थान में समाधानप्रद दशा में पहुंचने के लिए ।

(ii) जैट्रोफा बीज का स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारण किया जाएगा ।

[फा. सं. 18011/2/2010-एम. ii]

राजेन्द्र कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)

677 GI/-11-2

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22ndFebruary, 2011

G.S.R. 105(E).—Whereas the draft of Jatropha seeds Grading and Marking Rules, 2010, was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.781(E) dated the 28th September,2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 5th October, 2010;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

RULES

1. Short title, application and commencement. - (1) These rules may be called Jatropha Seeds Grading and Marking Rules, 2011.

(2) They shall apply to Jatropha seeds obtained from Jatropha capsule of plant Jatropha *curcas* l. of family *Euphorbiaceae.*

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Jatropha seeds in accordance with the grade standards and procedure specified under these rules;

(c) "certificate of authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, authorising a person or a body of persons to grade and mark Jatropha seeds with the grade designation mark;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expression used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 shall have the same meanings as are assigned to them under that Act.

3. Grade designations of Jatropha. - The Grade designations to indicate the quality of Jatropha seeds shall be as set out in column I of table to the Schedule II.

4. Quality. - For the purpose of these rules, the quality of Jatropha seeds shall be as given in Schedule II.

5. Grade designation mark.- The grade designation mark shall consist of "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as is set out in Schedule- I.

6. Method of packing. - (1) Jatropha seeds shall be packed in gunny bags or jute bags, polywoven bags, poly pouches, cloth bags, High Density Poly Ethylene (HDPE) laminated paper bags, new or un-mended B-Twill bags or any other safe packing material with suitable inner lining as approved by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(2) The packing material shall be clean, sound, free from insect and fungal infestation and should not have odour.

(3) Jatropha seeds shall be packed in pack sizes as per the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Jatropha seeds of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed and the mouth of the bag shall be stitched to disallow sweating or spilling.

7. Method of Marking:- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-

(a) name and address of the packer;
(b) place of packing;
(c) Lot or batch number;
(d) date of packing;
(e) variety or trade name; (optional)
(f) crop year (optional)
(g) grade;
(h) net weight;
(i) maximum retail Price (inclusive of all taxes);
(j) best before_____month_____year;
(k) any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser

(3) The ink used for marking on packages shall be of such quality which shall not contaminate the Jatropha seeds.

(4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of certificate of authorisation. - (1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules every authorised packer shall follow all instructions specified by Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per norms or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, for testing the quality of Jatropha Seeds.

(3) The premises shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf from time to time.

SCHEDULE-I

(See rule 5)
(Design of Agmark insignia)

Name of the Commodity.....

Grade.....

SCHEDULE –II
(see rule 3 and 4)

GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF JATROPHA SEED (*Jatropha curcas* l.)

1. Jatropha Seed shall be obtained from clean, healthy and mature capsule of the plant Jatropha *curcas* l. of family *Euphorbiaceae.*

2. Minimum Requirements:

(i) Jatropha Seeds shall be:-
(a) wholesome, mature, clean and dried ;
(b) of characteristic size, shape and colour,
(c) free from living and dead insects, insect fragments, mites and larvae;
(d) free from fungus infestation, mould growth ;
(e) free from added artificial colouring matter;
(f) free from rodent hair and excreta;
(g) free from other toxic seeds and weeds;
(h) free from rancidity and mustiness;

(ii) the odour and flavour of the seeds when grind and moistened shall be fresh.

3. CRITERIA FOR GRADE DESIGNATION .- The Criteria for Grade designation shall be as per the table given below:

Table

Grade designation	Extraneous matter		Broken seeds, percent by mass (max.)	Bulk density. (No. of seeds/kg) (max.)	Insect Infested seeds, percent by mass (max.)	Moisture, percent by mass(max.)	Oil percent in seeds by mass (Min.)	Damaged and discoloured seeds, % by mass (Max)	Acid Value of the extracted oil (Max.)
	Organic Percent by mass (max.)	Inorganic, Percent by mass (max.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Special	1.0	0.5	1.0	2000	0.5	8.0	33.0	2.0	10.0
Standard	1.5	1.0	2.0	2400	1.0	9.0	30.0	4.0	15.0
General	2.5	2.5	4.0	2800	2.5	10.0	27.0	7.0	25.0

Explanation. - For the purpose of this table,

(a) Extraneous matter, means-
  (i) "Organic matter" consisting of leaves, twigs, stems, organic matters other than the Jatropha seeds;
  (ii) "Inorganic matter" consists of metallic pieces, sand, gravel, dirt, pebbles, stones, lumps of earth, clay and mud, animal filth;
(b) "Insect infected seeds" means seeds which are wholly or partially bored or eaten by weevils;
(c) "Whole seeds" mean mature, sound and clean seeds;
(d) "Damaged seeds" means kernels or pieces of kernels that are sprouted or internally damaged as a result of heat, microbe and moisture.

4. Other requirement:

(i) the condition of the Jatropha Seeds shall be as to enable it,-

(a) to withstand transport and handling; and
(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Jatropha Seeds shall be stored in appropriate cool and dry place maintained in a clean and hygienic condition.

[F. No. 18011/2/2010-M. ii]

RAJENDRA KUMAR TIWARI, Jt. Secy. (Agricultural Marketing).

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.